कार्यालय : जिला पूर्ति अधिकारी, रूद्रप्रयाग

पत्रांक :– /40–जि0पू0अ0/लेखा–परिवहन/2017–18, दिनांक : 09 मई, 2017

निविदा

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु बेस गोदाम, श्रीनगर गढवाल से खाद्यान्नों तथा रेलशीर्ष ऋषिकेश से जनपद के आन्तरिक गोदामों हेतु खाद्यान्न/चीनी तथा आवश्यक वस्तुओं के परिवहन ढुलान हेतु जनपद के पंजीकृत ढुलान ठेकेदारों से दिनांक 25–05–2017 को अपराह्न 01:00 बजे जिला पूर्ति कार्यालय, रूद्रप्रयाग में मोहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे जिलाधिकारी महोदय, रूद्रप्रयाग द्वारा गठित समिति के समक्ष निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेंगी। निविदायें दो भागों में जमा की जायेंगी। एक बन्द लिफाफा तकनीकी (Technial Bid) एवं दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा (Financial Bid) का होगा। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबन्द करना होगा। पहले तकनीकी निविदा का लिफाफा खोला जायेगा एवं जिन कम्पनियों/फर्मों/ व्यक्तियों की समस्त शर्तें पूर्ण होंगी, केवल उन्हीं की वित्तीय निविदा द्वितीय चरण में खोली जायेगी। यदि किसी निविदादाता को कोई आपत्ति हो तो उसी दिन सायं 05:00 बजे तक लिखित रूप से देने पर सुनी जायेगी जिस पर समिति का निर्णय अन्तिम/मान्य होगा। टेण्डर फार्म कीमत रू0 300.00 (रूपये तीन सौ मात्र) एवं उस 14.50 प्रतिशत बिक्रीकर तथा बिक्रीकर पर सरचार्ज सहित लेखाशीर्षक में जमा करने के उपरान्त कोषपत्र जमा करने पर दिनांक 24 मई, 2017 के सायं 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा की शर्तों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला पूर्ति कार्यालय, रूद्रप्रयाग से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती हैं।

विभाग में ढुलान कार्य हेतु पंजीकृत/पंजीकरण करवाने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म को दिनांक 24–05–2017 तक पंजीकरण हेतु रूपये 100 (रूपये एक सौ मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कर प्रार्थना पत्र के साथ परिवहन विभाग द्वारा निर्गत परिवहन लाईसेंस, हैसियत प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो, पार्टनरशिप डीड, जिलाधिकारी/जनपद के किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत अध्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर में पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र रू0 10.00 (रूपये दस मात्र) नगद जमा कर जिला पूर्ति कार्यालय, रूद्रप्रयाग से प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य विभाग में पूर्व से पंजीकृत ढुलान ठेकेदारों को भी वर्ष 2017–18 हेतु अपना पंजीकरण उपरोक्तानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। खाद्यान्न/चीनी/आटा एवं आवश्यक वस्तुओं के प्रेषण, पहुँचाने का स्थान, अनुमानित कार्य, प्रतिभूति एवं धरोहर की धनराशि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र0स0	बेस डिपो का नाम	आन्तरिक गोदाम का नाम जहां खाद्यान्न पहुंचाया जाना है।	अनुमानित कार्य	प्रतिभूति की धनराशि	धरोहर धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	श्रीनगर गढवाल	रूद्रप्रयाग	1650000.00	165000.00	33000.00
2	तदैव	ऊखीमठ	955000.00	95500.00	19100.00
3	तदैव	गुप्तकाशी	1000000.00	100000.00	20000.00
4	तदैव	रामपुर	400000.00	40000.00	8000.00
5	तदैव	चोपता	650000.00	65000.00	13000.00
6	तदैव	तिलवाडा	1950000.00	195000.00	39000.00

क्रमश (02)

7	तदैव	मयाली	1000000.00	100000.00	20000.00
8	तदैव	पौन्ठी	450000.00	45000.00	9000.00
9	तदैव	बसुकेदार	950000.00	95000.00	19000.00
10	तदैव	घोलतीर	350000.00	35000.00	7000.00

क्र0स0	बेस डिपो का नाम	आन्तरिक गोदाम का नाम जहां खाद्यान्न पहुंचाया जाना है।	अनुमानित कार्य	प्रतिभूति की धनराशि	धरोहर धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रेलशीर्ष ऋषिकेश	रूद्रप्रयाग	500000.00	50000.00	10000.00
2	तदैव	ऊखीमठ	400000.00	40000.00	8000.00
3	तदैव	गुप्तकाशी	400000.00	40000.00	8000.00
4	तदैव	रामपुर	150000.00	15000.00	3000.00
5	तदैव	चोपता	400000.00	40000.00	8000.00
6	तदैव	तिलवाडा	720000.00	72000.00	14400.00
7	तदैव	मयाली	400000.00	40000.00	8000.00
8	तदैव	पौन्ठी	250000.00	25000.00	5000.00
9	तदैव	बसुकेदार	400000.00	40000.00	8000.00
10	तदैव	घोलतीर	400000.00	40000.00	8000.00

निविदा की शर्ते निम्न प्रकार रहेंगी :–

निविदा की शर्तें

1, निविददाता को जनपद रूद्रप्रयाग में ढुलान/हैण्डलिंग ठेकेदार के रूप में जिला पूर्ति कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसके लिये निर्धारित पंजिकरण शुल्क विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करना होगा।

2, ढुलान की दरें प्रति कुन्तल दी जायेगी, जिसमें सभी प्रकार के कर, चुंगी आदि सम्मिलित होंगे। भारतीय खाद्य निगम/वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/अन्य गोदामों से खाद्यान्न/चीनी प्राप्त कर आन्तरिक खाद्यान्न गोदामों में ढुलान करके खाद्यान्न गोदामों के अन्दर ढांग लगाने का व्यय भी इसमें सम्मिलित होगा, खाद्य विभाग/पी0सी0एफ0/एस0एम0आई0 के बेस पर चीनी/खाद्यान्न की लदाई ट्रक तक का भुगतान बेस गोदाम प्रभारी द्वारा किया जायेगा। ढुलान दरों में खाद्यान्न/चीनी का आन्तरिक गोदामों तक परिवहन व्यय तथा आन्तरिक गोदामों में ढांग लगाने (ट्रक से तोलकर गोदामों में लगाना) का व्यय भी सम्मिलित होगा।

3, सभी निविदाताओं की धरोहर धनराशि रूद्रप्रयाग जनपद रूद्रप्रयाग में स्थित डाकघर बचत खाते में जमा करनी होगी और धरोहर धनराशि जिला पूर्ति अधिकारी, रूद्रप्रयाग के पदनाम बन्धक रहेगी। निविदापत्र के साथ धरोहर धनराशि के रूप में डाकघर की पासबुक भी संलग्न करनी होगी। राष्ट्रीयकृत बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0 भी बन्धक धरोहर धनराशि धनराशि के रूप में संलग्न की सकती है, परन्तु कार्यालय में पूर्व जमा धनराशि किसी भी दशा में इस निविदा की धरोहर धनराशि के रूप में मे मान्य नही होगी। यदि कोई निविदादाता बिना धरोहर धनराशि जमा किये निविदा देता है तो निविदापत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

क्रमश (03)

4, निविदादाताओं को परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किया गया परिवहन लाइलेंस जिसमें परिवहन के अन्तर्गत चलाने वाले ट्रकों के नम्बर इत्यादि का अंकन हो, निविदादाता/ढुलान ठेकेदार कां अपने निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

5, सभी निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि, बेस गोदाम के परिवर्तन होने अथवा बेस गोदाम पर खाद्यान्न की कमी होने पर यदि अन्य किसी गोदाम से जनपद के आन्तरिक खाद्यान्न गोदामों को आपूर्ति किये जाने हेतु पुनः टेण्डर आमंत्रित किये जाने अथवा बेस गोदाम परिवर्तन होने की दशा में उन्हें कोई आपत्ति नही होगी। इस सम्बन्ध में टेण्डर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार स्वीकृतकर्ता अधिकारी/जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग में निहित होगा।

6, यदि किसी बेस गोदाम से खाद्यान्न/चीनी का ढुलान राजकीय वाहनों/विभागीय वाहनों द्वारा किया जाता है, तो इसमें निविदादाता को कोई आपत्ति नही होगी।

7, वर्षाकाल में मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में सम्बन्धित ढुलान ठेकेदारों को स्वीकृत टेण्डर पर ही सम्बन्धित खाद्यान्न भण्डार को खाद्यान्न/चीनी एवं आवश्यक वस्तुओं का ढुलान करना होगा, तथापि किसी विषम आपदा स्थिति/दैवीय आपदा जैसे असाधारण परिस्थितियों में मार्ग बन्द होने पर प्रति कि0मी0/प्रतिकुन्तल खच्चर/मजदूरों से ढुलान करने हेतु निविदा में अलग से ढुलान दर प्रस्तुत करनी होगी, जिसे समिति द्वारा स्वीकृत करने पर ही मान्य होंगी।

8, मार्ग अवरूद होने अथवा किन्हीं आपात आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में यदि जनपद के एक अन्य अन्न भण्डार दूसरे अन्न भण्डार को खाद्यान्न/चीनी की ढुलान की आवश्यकता जिला प्रशासन को अनुभव हुयी तो उसी स्थिति में उस ढुलान ठेकेदार को जिसका टेण्डर सम्बन्धित गोदाम हेतु हुआ हो, जिला प्रशासन अन्य गोदामों से खाद्यान्न/चीनी परिवहन करवाने हेतु आदेशित कर सकता है। इस निमित्त उसे/ढुलान ठेकेदार को औसत प्रति कुन्तल प्रति किमी0 की दर उतनी ही धनराशि का अतरिक्त परिवहन व्यय अनुमन्य होगा जो बेस गोदाम से मूल गोदाम जहां का वह वास्तविक अनुबन्धित ढुलान ठेकेदार है, का औसत प्रति कुन्तल प्रति किमी0 ढुलान दर आती है। यदि कोई ढुलान ठेकेदार इस शर्त के अधीन जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन नही करेगा तो उसका अनुबन्धपत्र निरस्त/जमानत की धनराशि को जब्त करने के लिये जिलाधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा।

9, निविदापत्र रू0 300.00 (रू0 तीन सौ) एवं 14.50 प्रतिशत बिक्रीकर सहित लेखाशीर्षक में जमा करने के पश्चात जिला पूर्ति कार्यालय रूद्रप्रयाग से निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक किसी भी कार्यदिवस को प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा प्राप्त निविदा पर तभी बिचार किया जाना सम्भव होगा जब निविदा समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने के साथ निविदा खुलने की निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जिला पूर्ति कार्यालय, रूद्रप्रयाग में प्राप्त हो जायेगी।

10, निविदादाता को प्रत्येक गोदाम के लिये अलग–अलग टेण्डर देने होंगे। एक निविदा फॉर्म पर एक से अधिक गोदामों के लिए मान्य नही होगी।

11, निविदापत्र के साथ रूपये 100.00(रू0 एक सौ) का सामान्य जनरल स्टॉम्प तथा रू0 1.00 (रू0 एक) का रसीदी टिकट चस्पा कर संलग्न प्रारूप 1 के अनुबन्ध पत्र भर कर निविदा के साथ प्रस्तुत करना निविदादाता को अनिवार्य होगा।

12, निविदादाता/खाद्यान्न ढुलान ठेकेदार के पास सम्बन्धित रेलशीर्ष/बेस गोदाम से आन्तरिक गोदामों तक के लिये मोटर मार्गो पर ट्रक चलाने के लियें परिवहन विभाग का वैध परमिट/लाईसेंस होना आवश्यक है, जिसकी वैधता 31–03–2018 तक होनी आवश्यक है और निविदादाता को इससे सम्बन्धित परिवहन विभाग का प्रमाण पत्र भी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

क्रमश (04)